कार्यालय टिप्पणी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील (आइग0सी0डी0एस) प्रकरण सं0 53/17
सुशीलादेवी बनाम उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रीगंगानगर।

उपस्थितः श्री रमेशकुमार, अधिवक्ता, अपीलार्थिया

आदेश दिनांक 14–7–17

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थिया उपस्थित। बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थिया ने अपनी बहस में बताया है जनवरी, 2017 में वार्ड सं0 14 के लिए दो सहायिका पद रिक्त होने की विज्ञप्ति जारी की गई थी। इस हेतु चार आवेदन फार्म जमा हुए थे जिसमें श्रीमती पूनम द्वारा कार्य नहीं करने के कारण उसका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया था। श्रीमती सोनू का सहायिका के पद पर चयन हो गया। उसी समय दूसरे पद पर चयन किया जाना था लेकिन वार्ड पार्षदों द्वारा शोर मचाये जाने के कारण भुलवंश वंचित रहा। बाद में कोई कार्यवाही न होने से विभाग द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थिया का चयन वार्ड सं0 14 में सहायिका के पद पर नियमानुसार किया जावे।

विभाग की ओर से रेकार्ड एवं रिपोर्ट प्राप्त हुआ। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि जनवरी, 2017 में वार्ड सं0 14 के लिए दो सहायिका पद के दो ऑगनबाड़ी केन्द्रों हेतु रिक्त पदों की विज्ञप्ति जारी की गई थी। इस हेतु चार आवेदन फार्म जमा हुए थे जिसमें श्रीमती पूनम द्वारा कार्य नहीं करने के कारण उसका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया था। द्वितीय स्थान पर रही श्रीमती सरला एवं श्रीमती सोनू के समान अंक आने तथा एक ही परिवार के होने के कारण श्रीमती सोनू की उम्र अधिक होने के कारण उसका सहायिका के पद पर चयन हो गया।अंतिम आवेदक श्रीमती सुशीला वरियता में होने के कारण दूसरे पद हेतु सहायिका के पद पर चयन किया जाना था लेकिन बैठक के दौरान वार्ड पार्षदों के द्वारा शोर करने पर चयन नहीं हो सका। अपीलार्थिया सहायिका के पद हेतु पूर्ण योग्यतापूर्ण करती है। उसी समय दूसरे पद पर चयन किया जाना था लेकिन वार्ड पार्षदों द्वारा शोर मचाये जाने के कारण भुलवंश वंचित रहा। सहायिका के पद को भरने तथा चयन हेतु प्रकरण उपखण्ड अधिकारी के समक्ष रखा गया लेकिन कोई निर्णय नहीं हुआ । विभाग की उक्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थिया को वरियता में होने के कारण दुसरे पद हेतु सहायिका के पद पर चयन किया जाना माना है तथा उसके द्वारा योग्यता पूर्ण करना स्वीकार किया है।

अतः ऐसी स्थिति में अपीलार्थिया की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, श्री गंगानगर को इस निर्देश के साथ प्रेतिप्रेषित किया जाता है कि विभागीय निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में नियमानुसार कार्यवाही कर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत् आदेश पारित करें। आदेश की प्रति के साथ प्राप्त रेकार्ड उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, श्री गंगानगर को भेजा जावे।

उपस्थितः श्री रमेशकुमार, अधिवक्ता, अपीलार्थिया

आदेश दिनांक 14–7–17

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थिया उपस्थित। बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थिया ने अपनी बहस में बताया है जनवरी, 2017 में वार्ड सं0 14 के लिए दो सहायिका पद रिक्त होने की विज्ञप्ति जारी की गई थी। इस हेतु चार आवेदन फार्म जमा हुए थे जिसमें श्रीमती पूनम द्वारा कार्य नहीं करने के कारण उसका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया था। श्रीमती सोनू का सहायिका के पद पर चयन हो गया। उसी समय दूसरे पद पर चयन किया जाना था लेकिन वार्ड पार्षदों द्वारा शोर मचाये जाने के कारण भुलवंश वंचित रहा। बाद में कोई कार्यवाही न होने से विभाग द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थिया का चयन वार्ड सं0 14 में सहायिका के पद पर नियमानुसार किया जावे।

विभाग की ओर से रेकार्ड एवं रिपोर्ट प्राप्त हुआ। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि जनवरी, 2017 में वार्ड सं0 14 के लिए दो सहायिका पद के दो ऑगनबाड़ी केन्द्रों हेतु रिक्त पदों की विज्ञप्ति जारी की गई थी। इस हेतु चार आवेदन फार्म जमा हुए थे जिसमें श्रीमती पूनम द्वारा कार्य नहीं करने के कारण उसका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया था। द्वितीय स्थान पर रही श्रीमती सरला एवं श्रीमती सोनू के समान अंक आने तथा एक ही परिवार के होने के कारण श्रीमती सोनू की उम्र अधिक होने के कारण उसका सहायिका के पद पर चयन हो गया।अंतिम आवेदक श्रीमती सुशीला वरियता में होने के कारण दूसरे पद हेतु सहायिका के पद पर चयन किया जाना था लेकिन बैठक के दौरान वार्ड पार्षदों के द्वारा शोर करने पर चयन नहीं हो सका। अपीलार्थिया सहायिका के पद हेतु पूर्ण योग्यतापूर्ण करती है। उसी समय दूसरे पद पर चयन किया जाना था लेकिन वार्ड पार्षदों द्वारा शोर मचाये जाने के कारण भुलवंश वंचित रहा। सहायिका के पद को भरने तथा चयन हेतु प्रकरण उपखण्ड अधिकारी के समक्ष रखा गया लेकिन कोई निर्णय नहीं हुआ । विभाग की उक्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थिया को वरियता में होने के कारण दुसरे पद हेतु सहायिका के पद पर चयन किया जाना माना है तथा उसके द्वारा योग्यता पूर्ण करना स्वीकार किया है।

अतः ऐसी स्थिति में अपीलार्थिया की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, श्री गंगानगर को इस निर्देश के साथ प्रेतिप्रेषित किया जाता है कि विभागीय निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में नियमानुसार कार्यवाही कर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत् आदेश पारित करें। आदेश की प्रति के साथ प्राप्त रेकार्ड उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, श्री गंगानगर को भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 14–7–17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

14/7/17

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर